



**प्राचार्य, शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल
महाविद्यालय अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)**



Website: www.gkhca.in

Email: gkhc.abhanpur@gmail.com

क्रमांक / 983 / लेखा / 2026

अभनपुर, दिनांक - 15/10/2026

// अतिथि व्याख्याता (इतिहास हेतु विस्तृत विज्ञापन) //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक ESTB/2035/637/2026/RAJPATRT STHAPANA नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18/08/2026 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक ESTB/1027/1216/2025/38-1, दिनांक 18.08.2026 के अनुसार शासकीय शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर, जिला रायपुर में (विषय-इतिहास -01) में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 23/10/2026 को सायं 05:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते प्रस्तुत कर सकते हैं (कार्यालय से पावती प्राप्त करें)। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं :-

1. यूजीसी (UGC) नियम 2018 के प्राधान्यों के अनुरूप।

- अतिथि शिक्षण सहायक हेतु स्नातकोत्तर (P.G.) में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य हैं।
- SC/ST एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50: प्रतिशत अंक आवश्यक हैं।

2. आयु सीमा :- अधिकतम 65 वर्ष तक।

3. प्राथमिकता :- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

अतिथि व्याख्याता की वरीयता सूची में प्रथमिकता क्रम निम्नानुसार होगी :-

श्रेणी 1: संबंधित विषय में Ph.D.

श्रेणी 2: NET / SET परीक्षा उत्तीर्ण

श्रेणी 3: संबंधित विषय में M.Phil. धारक

क्र.	विषय	रिक्त पद
01	इतिहास	01



टीप:- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

शर्त:-

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10 वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी-एच.डी. /अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक ~~23.10.2026~~ तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जायेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जायेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 27.10.2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में ~~दस्ता~~ आपत्ति की तिथि 29.10.2026 तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 31.10.2026 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचारधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय माना य निम्नानुसार होगा :-

- अतिथि व्याख्याता मानदेय 2000 /--प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50,000 /--)
 - अतिथि ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी: 1600 /--प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 40,000 /--)
 - अतिथि शिक्षण सहायक 1400 /-- प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35,000 /--)
 - अतिथि ग्रंथपाल सहा./अतिथि क्रीडा सहा. कार्य दिवस 1200 /-- प्रति (प्रतिमाह अधिकतम 30,000 /--)
11. लिफाफे पर पता लिखने के निर्देश :- आवेदकों को बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पूरा पता लिखना अनिवार्य है "शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर , जिला रायपुर (छ.ग.) पिन कोड-493661"। इसके साथ ही लिफाफे पर आवेदित पद और विषय का उल्लेख करना भी आवश्यक है।
12. पद की स्थिति :- इस व्यवस्था के तहत नियुक्त अतिथि व्याख्याता या अन्य कर्मचारी विश्वविद्यालय या महाविद्यालयीन स्थायी स्थापना के अंतर्गत नहीं आएंगे और न ही उन्हें कानूनी रूप से लोक-सेवक माना जाएगा।
13. अनुपस्थिति संबंधी नियम :- यदि कोई अभ्यर्थी बिना सूचना के लगातार 15 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो संस्था प्रमुख द्वारा उसकी सेवा स्वतः समाप्त कर दी जाएगी।
14. अनुशासन/ अभ्यर्थियों को संस्था में सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा और संस्था प्रमुख के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
15. अतिरिक्त शैक्षणिक एवं अन्य दायित्व/ कक्षाओं में अध्यापन के अलावा, अभ्यर्थियों को संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यों में सहयोग देना होगा :- प्रवेश प्रक्रिया एवं परीक्षाओं का संचालन, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन व मूल्यांकन, नैक (NAAC) मूल्यांकन से संबंधित कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे।
16. शिकायत और सेवा समाप्ति :- यदि शैक्षणिक सत्र के दौरान अध्यापन या अन्य मामलों में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सेवाएं तुरंत समाप्त की जा सकती हैं। ऐसे अभ्यर्थी आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन के लिए पात्र नहीं होंगे।


 (डॉ. प्रदीप कुमार शुक्ला)
 शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय
 अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 984 / लेखा / 2026

अभनपुर, दिनांक 15/10/26

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त , उच्च शिक्षा विभाग , ब्लॉक सी 30 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर रायपुर को सूचनार्थ ।
2. स्थापना शाखा , शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर, जिला-रायपुर(छ.ग.)
3. सूचना पटल , शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर, जिला-रायपुर(छ.ग.) ।
4. समाजशास्त्र विभाग, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) ।
5. शासकीय जे. योगानंदनम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय बैरन बाजार रायपुर (छ.ग.) ।
6. डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय मठपारा रायपुर (छ.ग.) ।
7. शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय कालीबाड़ी चौक रायपुर (छ.ग.) ।


15/10/26
प्राचार्य
(डॉ. प्रदीप कुमार शक्ता)
शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय
अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
प्राचार्य